BEFORE: HON'BLE BOARD OF REVENUE , MADHYAPRADESH

MOTI MAHAL, GWALIOR (M.P.)

APPEAL NO. /2014 A 2190 – PBR/14

APPELLANT — *M/s Associated Alcohol and Breweries Limited ,Khodigram ,Badwah ,District-Khargon (M.P.)*

Versus

RESPONDENTS

1. The Excise commissioner ,Madhya Pradesh, Moti Mahal ,Gwalior, (M.P.)
2. Deputy commissioner (Excise) ,Divisional flying scot, Jabalpur (M.P.)

An appeal under Rule 2(C) of the Appeal and Revision Rules against the order dated 12-06-2014 whereby the learned Excise Commissioner was pleased to dismiss the appeal, file against the order dated 13-08-2010 passed by the Respondent no.2 pertaining to penalty on transit loss . A copy of the impugned order dated 12-06-2014 is Annexure A-1.

The humble Appellant most respectfully submits as under:

FACTS OF THE CASE

1. That, Appellant company is the licencee of the Respondent department and on the basis of the contract , a consignment of 19,992 P.L. of rectified sprit was transported to ware house Narsinghpur vide permit no.531 dated 15-11-2008.The aforesaid consignment was sealed and packed in presence of the department

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक अपील 2190–पीबीआर / 14 जिला–जबलपुर

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2-8-16	अपील प्रकरण कमांक आर.ई.सी / 62 / 2010–11 में आबकारी आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 12–06–2014 एवं उपायुक्त आबकारी संभागीय उड़नदस्ता, जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 13–08–2010 के विरूद्व यह अपील, मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के अर्न्तगत निर्मित मध्यप्रदेश आसवनी के नियम– 2(सी) के तहत् प्रस्तुत किया गया है। 2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मैसर्स एसोसिएटेड अल्कोहल एण्ड ब्रेवरील लिमिटेड खोड़ीग्राम बड़वाह, जिला–खरगोन की ओर से उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता, जबलपुर द्वारा पारित आदेश क्रमांक / आब. / आसवनी / 2010 दिनांक 13–08–2010 विरूद्ध आबकारी आयुक्त, ग्वालियर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई । प्रकरण पंजीबद्ध किया गया तथा दिनांक 12–06–2014 को अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त कर दी गई । आबकारी आयुक्त के उक्त आदेश दिनांक 12–06–2014 से परिवेदित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है। 4/ अपीलार्थी के अभिभाषक श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी द्वारा	

तर्क प्रस्तुत किया गया, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को न्यायोचित नहीं माना है । क्योंकि आसवनी नियम में तत्समय मदिरा के उपयोग में लाई गई स्पिरिट पर देय ड्यूटी अनुसार न्यूनतम शास्ति आरोपित किया जाना था । किन्तु मध्यप्रदेश आसवनी नियम 1995 में राजपत्र के माध्यम से संशोधन होकर यह नियम निर्धारित हुआ है कि ड्यूटी की दर से ही शास्ति अधिरोपित किया जाये । बड़वाह से नरसिंहपुर की दूरी 625 किलो. से अधिक है । सड़कों की स्थित खराब होने एवं टैंकर में हिचकोले आने से वाष्पीकरण के कारण मार्ग हानि हुई है । जिसका दोष अपीलार्थी कम्पनी पर लगाया जाना अवैध एवं अनुचित है । उक्त मार्गहानि से शासन को कोई हानि नहीं हुई है । अपितु अपीलार्थी को ही स्प्रिट की लागत एवं उस पर मिलने वाले सिलिंग चार्ज से वंचित होना पड़ा है । एक्साइज मैन्युअल की शर्त क्रमांक 207 के अनुसार मार्ग हानि के संबंध में शास्ति तभी आरोपित की जा सकती है जब अधिकारी को यह लगे की उक्त हानि अपीलार्थी द्वारा धोखाधड़ी व असदभवना पूर्वक कारित की गई है तथा शास्ति आरोपित करते समय उसका कारण बताया जाना अनिवार्य है ।

5/ मेरे द्वारा आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत तर्को एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया ।

6/ अनावेदक शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय का आदेश सही है उसमें हस्तक्षेप

की आवश्यकता नहीं है । अतः अपील निरस्त करने का निवेदन किया है ।

7/ मेरे द्वारा उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क श्रवण किये गये तथा अधीरस्थ न्यायालय के आदेश का अवलोकन किया गया । अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के अध्ययन से पाया कि मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के अन्तर्गत निर्मित मध्यप्रदेश आसवनी नियम–8 (4) में नियम 6 के संगत प्रावधानों के अनुसार अनुमत्य अभिवहन मार्ग हानि से अधिक पाई गई मार्ग हानि की मात्रा पर शास्ति अधिरोपित की जा सकती है । इस प्रकरण में अनुज्ञेय सीमा से अधिक मार्गहानि घटित हुई है । आसवक द्वारा इस संबंध में कोई साक्ष्य एवं दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये, जिसके कारण उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता, जबलपुर द्वारा की गई कार्यवाही विधिसंगत एवं उचित है । भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 74 के प्रावधानों का उल्लेख भी प्रासंगिक नहीं है इस धारा के अन्तर्गत जब दो पक्षों के बीच संविदा हो व एक पक्ष द्वारा संविदा भग करने से दूसरे पक्ष को हानि होने पर क्षतिपूर्ति दिलवाई जाने का प्रावधान है । चूँकि इस प्रकरण में हानि होने और उसकी वसूली की कार्यवाही का प्रश्न निहित है। उपरोक्तानुसार मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के अंतर्गत निर्मित नियमों के प्रावधानों का उल्लघंन होने पर शास्ति अधिरोपण की कार्यवाही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई है जो कि उचित है।

8/ अपीलार्थी का तर्क आंशिक रूप से सही प्रतीत होता है कि आसवक की प्रदाय व्यवस्था असफल नहीं हुई है, इस कारण शासन को कोई हानि नहीं हुई है । परन्तु यह वे परिस्थितियाँ है जो अधिक मार्गहानि केकारण हुये नियमों के उल्लंघन की गंभीरता को कम करती है । ऐसी परिस्थितियों पर विचार शास्ति अधिरोपित करने वाले प्रधिकारी द्वारा ही किया जा सकता है । मध्यप्रदेश आसवनी नियम 1995 के नियम–8(4) में नियम 6 के अन्तर्गत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रुपये 1,81,790/– के शास्ति अधिरोपण के आदेश को दोहरा दण्ड भी नहीं माना जा सकता ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश विधिनुकूल होने से उसमें हस्तक्षेप करने की आवश्कयता नहीं है । अतः प्रस्तुत अपील निरस्त की जाती है ।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य